

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/148 दिनांक 13/06/2024

—: आदेश:—

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित निम्न चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है:—

S.No	Name of Doctor's	Date of Birth	Date of First Appointment	Date of Probation Complete	Date of Regular Pay Scale
1	ADITYA KUSHWAH	15.06.1991	09.03.2023	08.03.2024	09.03.2024
2	MAYA SWAMI	08.02.1996	03.03.2023	02.03.2024	03.03.2024
3	NEETU JANGID	18.03.1996	13.03.2023	12.03.2024	13.03.2024
4	DEEPAK MISHAR	02.01.1998	04.03.2023	03.03.2024	04.03.2024
5	KAUSHALYA KUMARI	20.08.1995	13.03.2023	12.03.2024	13.03.2024
6	ANOOP KEDIA	03.01.1985	28.03.2023	27.03.2024	28.03.2024
7	AAMIR PATHAN	27.11.1991	30.05.2023	29.05.2024	30.05.2024
8	SEETA YADAV	20.07.1995	08.03.2023	07.03.2024	08.03.2024
9	NAVEEN KUMAR GUPTA	02.08.1997	08.03.2023	07.03.2024	08.03.2024

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/148

दिनांक 13/06/2024

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सक की पत्रावली में नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
- कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।